In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 93/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

- 1. कैलाश पुत्र गयादीन जाटव उम्र 43 साल निवासी— सुमेर कॉलौनी वार्ड नं0 17 गोहद चौराहा
- 2. बंटी पुत्र बाबूराम जाटव उम्र 27 साल, निवासी— सुमेर कॉलौनी वार्ड नं0 17 गोहद चौराहा
- 3. सुरेश पुत्र मोजीराम जाटव उम्र ४० साल,निवासी– कीरतपुरा
- 4. रिंकू पुत्र मकुन्दी जाटव उम्र 19 साल,निवासी— गोतम नगर वार्ड नं0 17 गोहद चौराहा

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक 27.02.17 को 11:30 बजे स्थान सुमेर कॉलौनी वार्ड नं0 17 बम्बा किनारे गोहद चौराहे पर ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 22.05.2017 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये 100–100 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गडडी एवं प्लास्टिक की पल्ली नष्ट हो एवं रूपये 2700 / रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान–भिण्ड

दिनांक- 22.05.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 68 / 2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. मोहम्मद सफी पुत्र नीव अहमद खां उम्र 24 साल निवासी परसूपुरा थाना संदनगर जिला रामपुर उ०प्र0

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक 20/03/17 को 22:07 बजे सरदार पेटोल पम्प के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर अपने आधिपत्य का वाहन ट्रक कमांक यू0पी021 बी एन—2225 को लोक मार्ग में खडा करके रास्ता अवरूद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले व्यक्तियों को बाधा कारित की?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 22/03/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा०द०स० के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 283 भावद0स0 के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भावद0स0 के अंतर्गत 200 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी021 बी एन—2225 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 22/03/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 26/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. बैजनाथ पुत्र हरविलास जाटव उम्र 40 साल निवासी शेरपुर,पुलिस थाना एण्डौरी जिला भिण्ड म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 20/1/17 को 16:35 बजे सती कृपा बीज भण्डार के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड गोहद चौराहा गोहद में अपने आधिपत्य की वाहन आटो लोडिंग क्रमांक एम.पी.30 एल-ए-0314 को लोक मार्ग में खडा करके रास्ता अवरूद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले व्यक्तियों को बाधा कारित की?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 23/1/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा०द०स० के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 283 भा०द०स० के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्त गण को धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत 200 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा आपे वाहन आटो लोडिंग क्रमांक एम.पी.30 एल-ए-0314 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 23/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 49/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. रामवीर पुत्र उम्मेद सिंह गुर्जर निवासी नया गांव पुलिस थाना पनिहार जिला ग्वालियर म०प्र0

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक 13/02/17 को 21:00 बजे थाने के सामने गोंहद चौराहा रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन टक क्रमांक एम.पी.07 एच0बी0.—3896 को नशे की हालत में चलाया?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 15/02/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 185 मोटरयान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा आपने वाहन ट्रक कमांक एम.पी07एच0बी0—3896 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 15/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद ALINATA PARETO SUNTIN ELD STATION OF THE PARETON OF

The state of the s

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 27/2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल राठौर उम्र 38 साल निवासी सती बाजारवार्ड क.15 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक 20/1/17 को 17:20 बजे रामजानकी मंदिर के सामन भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड गोहद चौराहा गोहद में अपने आधिपत्य की वाहन आटो लोडिंग क्रमांक एम.पी.30आर—1540 को लोक मार्ग में खडा करके रास्ता अवरूद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले व्यक्तियों को बाधा कारित की?

	तुम्हारा	उपरोक्त क्	वृत्य धारा	283	भा०द०स०	के	अंतर्गत	दंडनीय	अपराध	किया।	स्पष्ट	करों	अपराध
स्वीकार है	या विचारण	चाहते हों											

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय// (आज दिनांक 23/1/17 को घोषित किया गया)

- अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा0द0स0 के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 283 भा०द०स० के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत 200 / – रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। 3.
- आरोपी स्वतंत्र हो।
- प्रकरण में जप्तशुदा आपे वाहन आटो लोडिंग कमांक एम.पी.30आर—1540 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये

स्थान-गोहद्

दिनांक- 23/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद AN BUNTALE.

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 28 / 2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. विनोद पाल पुत्र रघुवीर सिंह उम्र 27 साल निवासी भेले का पुरा थाना बिजौली ग्वालियर म०प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 20/1/17 को 17:30 बजे सरदार पेटोल पम्म के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड गोहद चौराहा गोहद में अपने आधिपत्य की वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07 एच.वी.3816 को लोक मार्ग में खडा करके रास्ता अवरुद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले व्यक्तियों को बाधा कारित की?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 23/1/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा०द०स० के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 283 भावद0स0 के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भावद0स0 के अंतर्गत 200 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा आपे वाहन ट्रक कमांक एम.पी.07 एच.वी.3816 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-गोहद

दिनांक- 23/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

ALINATA PARETO SUNTIN ELD STATION OF THE PARETON OF

The state of the s

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 08 / 2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. शरीफ खान पुत्र शहजाद खान उम्र 26 साल निवासी वार्ड क.5 नूरगंज गोहद,जिला भिण्ड म०प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 17/1/17 को 16:15 बजे इटायली गेट गोहद में अपने आधिपत्य की वाहन टाटा मैजिक कमांक एम.पी.30/जी—0890 को लोक मार्ग में खडा करके रास्ता अवरूद्ध कर लोक पथ में निकलने वाले व्यक्तियों को बाधा कारित की?

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 283 भा०द०स० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 19/1/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा०द०स० के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 283 भा0द0स0 के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 283 भा0द0स0 के अंतर्गत 200 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा आपे वाहन मैजिक कमांक एम.पी.30 / जी—0890 उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस की जाये।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 19/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 672 / 16

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

नाम— संतोष पुत्र रामकिशन बरेठा उम्र 28 साल निवासी संतोष नगर गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने घटना दिनांक 04/04/16 के 18:20बजे स्थान बस स्टैण्ड गोहद में हाथ ठेला लगाया जिससे आवागमन में अवरूद्ध पैदा हुआ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed.

(आज दिनांक 23/02/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 34पुलिस अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धारा 34 पुलिस अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 50 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हों।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान—भिण्ड

दिनांक- 23/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 682 / 16

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

नाम- सनन् पुत्र रमेश खटीक उम्र 24 साल निवासी वार्ड क05 गोहद

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने घटना दिनांक 04/04/16 के 20:20स्थान बस स्टैण्ड गोहद में हाथ ठेला लगाया जिससे आवागमन में अवरूद्ध पैदा हुआ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed.

(आज दिनांक 23/02/17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 34पुलिस अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धारा 34 पुलिस अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 50 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हों।
- 5. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान—भिण्ड

दिनांक- 23/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी.गोहद

प्रकरण कमांक 05/2017

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0 ण

name, parentage, caste and address of accused-

नाम-बंटी पुत्र नाथूराम उम्र 30 वर्ष निवासी नूरगंज गोहद,जिला भिण्ड.

The offence complained of, and date of its alleged commission ----

- 1. यह कि आपने दिनांक 10/1/17 को 20:10 बजे बस स्टेण्ड गोहद में अपने आधिपत्य के आटो क्रमाक एम.पी.30 आर—1409 को शराब पीकर मत्त अवस्था में चलाया ।
- 2. यहिक आपके पास उक्त दिनांक समय व स्थान पर आटो क्रमांक एम.पी.30 आर 1409 को चलाने का डायविंग लाईसेंस नहीं था।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्यं मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3 / 181</u> के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

(आज दिनांक 13/1/2017) को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को ामोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3/181</u> के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3/181</u> के अंतर्गत दोषसिद्धि दहराया जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत 1000 / रूपये के अर्थंदंड एवं अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास तथा धारा 3/181 के अंतर्गत 500 / रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 07 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- जप्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-13/01/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित

हस्ताक्षरित

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

TO THE BUTTON THE BOY
GRPI-211-6L-11-94 V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
in the court of Class
Name and address of the Complainant
Name, parentage, caste and address of accused
WIND TO THE PARTY OF THE PARTY
The offence complaint of its alleged commission.
आपने दिनांकको समयबजे स्थान पर वाहन कमांकपर वाहन कमांक
को लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा आपने उपरोक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर फरियादी/आहतको टक्कर मारकर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ? ऐसा करके आपने भादवि की धारा
के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है ?
A SI

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF

CRIMINAL

PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 497 / 2016

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused

1. गंधर्व सिंह पुत्र प्रीतम सिंह उम्र 38 साल निवासी सती बाजार गोहद

The offence complained of, and date of its alleged commission

आप घटना दिनांक 22/06/2016 के 19:25 बजे सती मंदिर के पास सती बाजार गोहद में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 21/02/2017 को पारित किया गया)

- 1. आरोपी / आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है । आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजिनक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/— रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दिण्डित किया जाता है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा 250/— रूपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं लीड मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

स्थान–गोहद

दिनांक-21/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 496 / 2016

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. मुकेश पुत्र धन सिंह माहौर उम्र 35 साल निवासी नहर मौहल्ला वार्ड क.8 गोहद

The offence complained of, and date of its alleged commission

आप घटना दिनांक 08 / 06 / 2016 के 23:20 बजे नहर मौहल्ला पानी की चंकी के पास गोहद में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कींडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

(आज दिनांक 21/02/2017 को पारित किया गया)

- 1. आरोपी / आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है । आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/— रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्किम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दिण्डत किया जाता है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा 330 / रूपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं लीड मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-21/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण कमांक 498 / 2016

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused

1. पंचम सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाटव उम्र 37 साल निवासी नहर मौहल्ला गोहद,जिला भिण्ड म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आप घटना दिनांक 24/06/2016 के 20:30 बजे पानी की टंकी के पास नहर मौहल्ला गोहद में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 21/02/2017 को पारित किया गया)

- 1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है । आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/— रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्किम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दिण्डत किया जाता है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा 230 / रूपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं लीड मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-21/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसीगोहद

(नि र्ण य)

(आज दिनांक......को घोषित)

।. आरोपी / गण के विरुद्ध धारा	के
अपराध के आरोप हैं।	
2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए ह	ž
 आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार 	पर आरोपी / गण को
श्रारा	के अपराध में सिद्धदोष
उहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की	ो सजा एवं आरोपी/गण
कोअर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड	अदा ना करने की दशा
मेंदिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।	
१. प्रकरण में जब्तशुदा	
ALL STATES	
नेर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व	// O. X
देनांकित कर घोषित किया गया।	मेर्रे निर्देश पर टाईप किया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

in the court of Case No Name and address of the C	Class Complaint or report made on complainant
	lame,parentage, caste and address of accused
1.	The state of the s
The Offence proved, if any a the property in respect of w	and in case cluse(d),clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of nich of which the offence has been committed.
GRPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)
SUMMERRY TRIAL in the court of Case No	UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898 Class Complaint or report made on

Name and address of the Complainant
Name, parentage, caste and address of accused
TO THE BUTTERS OF THE PARTY OF
The offence complaint of its alleged commission.
आपने दिनांकको समयबजे स्थानबजे स्थान
पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के
को अपने आधिपत्य में रखा
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है।
The plan of the accused and his eventination (if any)
The plea of the accused and his examiination (if any)
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।
The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.
(नि र्ण य) (आज दिनांकको घोषित)
160

1. आरोपी / गण के विरुद्ध धाराके
अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
 आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को
धारा के अपराध में सिद्धदोष
ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण
कोहै। अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा
मेंदिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा
A A
3
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताo व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देश पर टाईप किया।
(प्रतिष्ठा अवस्थी) (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक् मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक् मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड गोहद जिला भिण्ड
(2)
do do
3000
GRPI-211-6L-11-94 V-190/CR.J.(e) SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898 in the court of Class
in the court of Case No Name and address of the Complainant Complaint or report made on
Name, parentage, caste and address of accused
A) 40

SEL STATE
4-2
The offence complaint of its alleged commission. आप दिनांकको समयबजे स्थान
खेलते हुए पाये गये।
आपका उक्त कृत्य धारा 13 धुत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।
A Paredo
The plea of the accused and his examiination (if any)
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।
(2) The
Se la company de
Reli
The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.
(निर्णय)
(आज दिनांकको घोषित)
1. आरोपी / गण के विरुद्ध धाराके
अपराध के आरोप हैं।

2.	आरोपी / गप	ग ने उक्त	आरोप स्व	वेच्छापूर्वक स्वीव	नार कि	ज्या / किए	हैं।		
3.	आरोपी / गप	ग की	स्वेच्छा	अभिस्वीकृति	के	आधार	पर	आरोपी / य	गण को
धारा						X	के	अपराध में	सिद्धदोष
ठहराय	ा जाता है।	अतः उक्त	न अपराध	के लिए न्याया	लय उ	ठने तक	की स	जा एवं आ	रोपी / गण
को		अर्थ	दण्ड से व	रण्डित किया ज	गता है	। अर्थदण	ण्ड अद	त्र ना करने	की दशा
में	दि	वस का स	ग्राधारण क	ारावास पृथक र	ने भुगत	तना होगा	I		
4.	प्रकरण में उ	जब्तशुदा		-100 7)			
				76_1					
			200 5	SUN					
निर्णय ख् दिनांकित	पुले न्यायालय मे । कर घोषित वि	िं हस्ता० व क्या गया।	A COLOR				मे	रे निर्देश पर ट	ाईप किया।
न्यायिक	तेष्ठा अवस्थी) मजिस्ट्रेट प्रथम द जिला भिण्ड	श्रेणी	a ,				न्य	(प्रतिष्ठा अव ायिक मजिस्ट्रेट गोहद जिला	प्रथम श्रेणी
GRPI-2	11-6L-11-94								CR.J.(e)
Case No	court of			263 OR 264 OF T	omplair	Class. nt or repo			79
		Name	, parentage	e, caste and a	ddress	of accu	sed	day	

The offence complaint of its alleged commission.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(नि र्ण य)

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।

3.	आरोपी / गण	की	स्वेच्छा	अभिस्वीकृति	के	आधार	पर	आरोपी / गण	को
धारा							के	अपराध में सि	द्धदोष
ठहराय	ग्रा जाता है। अत	तः उक्त	त अपराध	के लिए न्याया	लय च	उने तक	की स	जा एवं आरोपी	/गण
को		अर्थ	दण्ड से	दण्डित किया ज	गता ह	है। अर्थदण	ग्ड अव	रा ना करने की	दशा
में	दिवस	का र	नाधारण क	गरावास पृथक	में भुग	तना होगा	T		
4.	प्रकरण में जब्त	ाशुदा		4		3			
				A 7	3,5	2			
				76 A					
			8	N.					
~-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6	AN					
ानणय दिनांकि	खुले न्यायालय में हर त कर घोषित किया	स्ता० व गया।	1	29			मे	रे निर्देश पर टाईप	किया।
		3	00						
(प्र	तिष्ठा अवस्थी) 🏒		700					(प्रतिष्ठा अवस्थी))
	ं मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण हद जिला भिण्ड	r Q	9,				न्य	ायिक मजिस्ट्रेट प्रथ	
411	हद ।जला ।मण्ड	1						गोहद जिला भिण	ક

AND SUNTAIN

ाट्य ।जला मण्ड